



संख्या-

/ जी०एस०(शिक्षा) / A4-126(P-II) / 2019

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :
महोदय,

देहरादून : दिनांक : 23 सितम्बर, 2022

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं०-2053 व पत्र सं०-2056, दिनांक 07 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तुलाज इंस्टीट्यूट, धूलकोट, पो०-सेलाकुई, त०-विकासनगर, चकराता रोड़, देहरादून को बी०टैक०, एम०टैक०, एम०बी०ए० तथा एम०सी०ए० पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 की सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2. यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०आई०सी०टी०ई०, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
तुलाज इंस्टीट्यूट, धूलकोट, पो०-सेलाकुई, त०-विकासनगर, चकराता रोड़, देहरादून	बी०टैक०:- 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Electrical & Electronics Engg. 4. Electronics & Communication Engg. 5. Mechanical Engg.	60 180 30 30 60	2021-22
	एम०टैक०:- 1. Civil Engg. 2. Computer Science & Engg. 3. Thermal Engg.	18 06 06	
	एम०बी०ए०	60	
	एम०सी०ए०	30	

(1) विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(2) शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। वि०वि० द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखें।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये। संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटरशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (MoU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

(2)

(5) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित नवीनतम Configuration के कम्प्यूटर/Machines आदि संस्थानों में पूर्ण होना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/ए0आई0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(9) शासन द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

६०/-

(डा. रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या-2391 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-126 (P-II)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, तुलाज इंस्टीट्यूट, धूलकोट, पो0-सेलाकुई, त0-विकासनगर, चकराता रोड़, देहरादून
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।